

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक : प.1(ग)()का/एस.एम.ई./डी.एल.बी./17/14855

दिनांक : 20/6/17

-: आदेश :-


राजस्थान नगर पालिका (अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा) नियम 1963 के नियम 22 (1)के प्रावधानों के अन्तर्गत फायरमैन के अधिसंख्य पद (supernumerary post) सृजित करते हुये निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित नगर निगम/परिषद/पालिकाओं में नियुक्ति दिये जाने की एतद् द्वारा निर्देशानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.स.	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम	जन्म दिनांक	पदस्थापित निकाय का नाम
1.	21834194861	श्री जितेन्द्र सिंह पोसवाल	6/10/1990	हिण्डौन
2.	21421148456	श्री नाहर सिंह	7/1/1992	बयाना
3.	21834194798	श्री हरमान सिंह गुर्जर	10/28/1994	करौली
4.	21415151303	श्री बाबूलाल गुर्जर	7/6/1995	भिवाडी
5.	21422142175	श्री विश्राम सिंह गुर्जर	12/26/1996	भीलवाडा
6.	41423173982	श्री अजीत सिंह गुर्जर	5/20/1975	धौलपुर
7.	21835195814	श्री दीलिप सिंह गुर्जर	1/8/1990	बूंदी
8.	21409143883	श्री मुकेश कुमार गुर्जर	7/10/1990	रामगंजमण्डी
9.	21105129916	श्री विष्णु कुमार	7/8/1992	कांमा
10.	21453139051	श्री हरवंश सिंह	2/3/1985	धौलपुर
11.	21001127075	श्री गणेश गुर्जर	5/1/1990	भीलवाडा
12.	21527178090	श्री प्यार सिंह गुर्जर	8/14/1992	बांदीकूई
13.	21933198750	श्री मनीष कुमार गुर्जर	8/1/1993	नागौर
14.	21453139525	श्री जेसराम	3/15/1994	हिण्डौन
15.	41455160457	श्री संजय कुमार	5/11/1991	हनुमानगढ़
16.	21105129887	श्री मुकेश कुमार गुर्जर	9/8/1988	भरतपुर
17.	21422142112	श्री उमा शंकर गुर्जर	6/15/1991	खेडली
18.	21835195849	श्री धीरू सिंह गुर्जर	6/15/1994	राजसमन्द
19.	41423173282	श्री पवन गुर्जर	2/4/1993	राजसमन्द
20.	41455160481	श्री सुरज्ञान	7/1/1997	बीकानेर
21.	41835198519	श्री भनवारी गुर्जर	9/5/1994	हनुमानगढ़
22.	21453139070	श्रीमती अंजू कुमारी	12/10/1986	बयाना
23.	21413151734	मंजू देवी गुर्जर	7/1/1992	अलवर
24.	41452157877	भावना गुर्जर	7/12/1996	नाथद्वारा
25.	22147201990	लक्ष्मी	5/13/1990	जेसलमेर
26.	22147201987	डिम्पल	12/15/1995	पाली
27.	21105129448	अनीता गुर्जर	8/1/1996	करौली
28.	21425153536	सुनीता गुर्जर	11/1/1995	पाली

आयोग द्वारा चयनित उपरोक्त फायरमैन को निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन नियुक्ति पत्र जारी किये जाने हैं:-

01. उक्त पदों पर नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान के आदेश दिनांक 22.05.2017 की पालना में अधिसंख्य पद (supernumerary post) सृजित करते हुये पूर्णतः अस्थायी (temporary) आधार पर दी जावे। नियुक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित पद पर स्थायीकरण का अधिकारी नहीं होगा।
02. अभ्यर्थियों की पात्रता एवं न्यूनतम छः माह की अवधि के लिये आयोजित बैसिक एलिमेन्ट्री फायरमैन ट्रेनिंग कोर्स उतीर्ण संबंधी प्राथमिक जांच विभाग द्वारा की जा चुकी है, किन्तु अभ्यर्थी की पात्रता एवं न्यूनतम छः माह की अवधि के लिये आयोजित बैसिक एलिमेन्ट्री फायरमैन ट्रेनिंग कोर्स उतीर्ण संबंधी जांच एवं प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था के रजिस्ट्रेशन एवं मान्यता संबंधी जांच संबंधित निकाय के आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर की जाकर ही नियुक्ति आदेश जारी करावे। नगरीय निकाय द्वारा जारी नियुक्ति आदेश के अनुसरण में पदभार ग्रहण करने के उपरान्त ही फिक्स वेतन नियमानुसार देय होगा।
03. यह चयनित अभ्यर्थियों की सूची, अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के परीक्षण के अध्याधीन रहेगी। किसी अभ्यर्थी का चयन गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने के आधार पर हो गया हो तो उक्त नियुक्त अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश एवं सेवाएँ तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
04. फायरमैन पद पर चयनित अभ्यर्थियों को सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक से पुलिस चरित्र सत्यापन करवाने के बाद ही नियुक्ति दी जावे।
05. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सरकारी चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
06. उपरोक्त कार्मिकों को वित्त विभाग के आदेश संख्या: एफ.12(2)एफडी/रूल्स/ 2005 दिनांक 20.04.2006 में वर्णितानुसार निर्धारित समयावधि तक फिक्स रेम्यूनरेशन देय होगा।
07. यह आदेश आयोग के सम्बन्धित रिकार्ड एवं चयनित अभ्यर्थी के दस्तावेजों व अन्य शर्तों के आधार पर सहवन या अन्य कारण से हुई त्रुटि को संशोधित किये जाने के अध्याधीन रहेगा।
08. नगर निकायों को आवंटित चयनित फायरमैन इस आदेश के जारी होने की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस की अवधि में आवंटित नगरीय निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी के समक्ष मूल दस्तावेज सहित लिखित आवेदन के साथ उपस्थित होंगे जिसको संबंधित निकाय द्वारा रिकार्ड पर लिया जावेगा। इस अवधि के पश्चात इस आदेश के अन्तर्गत फायरमैन पद हेतु चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने के अधिकारी नहीं होंगे और नियुक्ति का अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जावेगा।
09. उक्त नियुक्तियाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीन सिविल अपील संख्या 1464-1466/2017 के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन होगी।

अतः इन्हे नियत समयावधि में नियमानुसार ड्यूटी ज्वाइन करवाई जाकर पालना रिपोर्ट विभाग को भिजवाये।




(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त
शासन सचिव
दिनांक : 20/6/17

क्रमांक : प.1(ग)()का/एस.एम.ई./डी.एल.बी./17/14256-14346

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।

3. आयुक्त/अधिशायी अधिकारी, सम्बन्धित नगर, निगम/परिषद/पालिका को प्रेषित कर लेख है कि नियुक्ति सम्बन्धि कार्यवाही तत्काल सम्पादित करते हुए नियुक्ति आदेश की प्रति विभाग को आवश्यक रूप से भिजवायें। यदि कोई अभ्यर्थी किसी कारणवश पात्र नहीं पाया जाता है तो तत्काल विभाग को लौटाते हुए कारण सहित अवगत करावें।
4. अध्यक्ष/सचिव, राज्य स्तरीय राजस्थान नगर पालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा) आयोग, राज. जयपुर।
5. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट व सीएमएआर की वेबसाईट पर अपलोड करे।
6. कार्यालय अधीक्षक, निदेशालय को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित है।
7. सम्बन्धित श्री
8. सुरक्षित पत्रावली।


(अलका मीणा)
उप निदेशक (प्रशासन)